(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1139–दो/2016 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–03–2016 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 569/2015–16 अपील

1– द्वारकाप्रसाद पुत्र देवदत्त
2– राघवेन्द्र पुत्र श्रीनिवास
3– गोकरण प्रसाद पुत्र देवदत्त
निवासीगण ग्राम जमताल
तहसील मेहर जिला सतना

---आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मीकांत पुत्र रामनिवास शर्मा
ग्राम जमताल तहसील मेहर
जिला सतना मध्य प्रदेश

--अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी.के.तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 569/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मेहर के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उसके व्दारा ग्राम जमताल की भूमि सर्वे कमांक

191/1 रकबा 0.418 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) क्रय की है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावे। नायब तहसीलदार मेहर ने प्रकरण कमांक 17 अ-6/14-15 दर्ज किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 17-7-2015 पारित करके विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर केता अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण कमांक 66/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-2016 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार मेहर का आदेश दिनांक 17-7-2015 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 569/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2016 से अनुविभागीय अधिकारी मेहर के आदेश दिनांक 19-2-2016 को निरस्त कर दिया एंव तहसीलदार मेहर का आदेश दिनांक 17-7-2015 स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसका विक्रय उन्होंने नहीं किया है इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा किया गया नामान्तरण गलत था जिसे अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने ठीक निरस्त किया है। यदि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि उनके स्वामित्व की मानते है तब स्वत्व का मामला राजस्व न्यायालय निर्णीत करने हेतु सक्षम नहीं है । आवेदक वादग्रस्त विक्रीत पर भूमि पर स्वयं् का स्वत्व प्रमाणित कराना चाहते है तब वह सिविल न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने आदेश दिनांक 19-2-16 में यह विवेचना कर अपील स्वीकार की है कि कच्ची विक्रय टीप के अनुसार रू. 4000/- का विक्रय है जबकि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 में 100 रूपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति के विक्रय का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय कच्ची

टीप पर है किन्तु विक्रय की कच्ची टीप को मुद्रांकित कराया गया है तथा मुद्रांकित हुई विक्रय टीप जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं होती, राजस्व न्यायालय विक्रय टीप के आधार पर नामान्तरण पर विचार करेंगे एंव विक्रय टीप साक्ष्य से प्रमाणित होने के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 569/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2016 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 569/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर